तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29-6-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20-9 को पेश हो
29-10-21	पत्रावली प्रशासन गावो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम भादू मे पेश हुई, पटवार हल्का भादू द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा. प. किया गया, प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शा. प. किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:30:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मिसल संख्या :- 229/20 प्रा. पत्र

श्रीमती सीता देवी w/o जगदीशचन्द्र बलाई निवासी - आलड़ी खेड़ा मांडल ......प्रार्थी

बनाम

श्री राजु s/o श्री लोगा बलाई निवासी - आलड़ीखेड़ा तह मांडल ......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 29-10-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम आलड़ीखेड़ा............पटवार हल्का गेंदास्या......तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं. 638/1, 339/1...............कुल किता ......0.2............................ 0.7967............हेक्टेयर.................स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी प्रवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.12.20.............को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ारी है ।वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है ।अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आलड़ीखेड़ा हल्का गेंदास्या..............................तहसील मांडल में स्थित आराजी 638/1, 339/1.............................. ....कुल किता ....0.2.........................रकबा 0.7967..........हेक्टेयर.................. के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक गुढ़ारिया..........................को 500/-.........................../- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी को र पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
डॉ. पूजा सक्सेना
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021